न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—56/2015 दायर दिनांक:— 03.07.2015

जीसीएमएस नं. 2015/00164

1. भूरमल उम्र 50 साल
2. भरतलाल उम्र 40 साल
3. उगन्ती उम्र 60 साल

पिसरान बद्री जाति जोगी निवासी धंधावली तहसील हिण्डौनसिटी

4. कैलाशी उम्र 58 साल
5. गीता उम्र 56 साल
6. मीरा उम्र 52 साल

पुत्रियाँ बद्री जाति जोगी निवासी धंधावली तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

7. विशनी उम्र 80 साल बेवा बद्री जाति जोगी निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

————सायलान

बनाम

1. प्रभाती उम्र 65 साल
2. लक्खी उम्र 60 साल

पिसरान भोंरया जाति जोगी निवासी धंधावली तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

3. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा सूरौठ जरिये शाखा प्रबन्धक
4. स्टेट ऑफ राज. तामील जरिये तहसीलदार तह. हिण्डौन लैण्ड होल्डर

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री रामभरोसी गोयल वकील सायलान
2.राजेश कुमार मीना वकील गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 15.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 625 रकवा 26 ऐयर, 626 रकवा 27 ऐयर, 627 रकवा 24 ऐयर, 628 रकवा 25 ऐयर, 1079 रकवा 20 ऐयर कुल किता 5 कुल रकवा 1.22 है0 बाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है। आराजी मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र सायलान एवं गैरसायलान संख्या 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि हहै जिसके 1/3 हिस्सा के सायलान तथा 1/3 हिस्सा के गैरसायलान नं0 1 तथा 1/3 हिस्सा के गैरसायलान नं0 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा होकर अलग—अलग खातेदारी नहीं हुई है। सायलान व गैरसायलान संख्या 1, 2 आपस[illegible] से अपने अपने हिस्सों को काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन उक्त भूमि की [illegible] होने के कारण उक्त भूमि का माकूल इन्तजाम नहीं हो रहा है और नहीं [illegible] हो रहा है। उक्त भूमि को शामिल रखना उचित है। आपस में हर फसल पर कहन सुन होती र[illegible] इसलिए सायलान ने गैरसायल संख्या 1, 2 से दिनांक 01.0[illegible]15 को राजस्व अभियान [illegible]मति से अलग अलग खातेदारी कराने का निवेदन किया तो गैरसायल संख्या 1, 2 ने इंकार कर दिया तथा ऐलानिया कहा कि हम उक्त भूमि को लठैत व्यक्तियों को बेच कर रहेगें तथा उक्त भूमि को नाकाबिल काश्त बनाकर रहेंगे, तथा ट्यूब बैल में पानपी लेने से मनाकर दिया। अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:25 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान संख्या 1, 2 अपने इरादों में कामयाब हो गये तो हकूक सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। सायलान का प्रथम दृष्टया केस एवसं सुविधा का सन्तुलन पक्ष एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु पूरी तरह से साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार का नहीं है जबकि पाबंद न किये जाने में सायलान को अकथनीय क्षति है जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी अपने कब्जे काश्त के आधार पर आराजीयात का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबंद फरमाया जावे कि वह सायलान को उनके 1/3 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके तथा विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 625, 626, 627, 628, 1079 कुल रकवा 1.22 है0 को किसी को रहन बय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे। तथा ट्यूब बैल से पानी लेने से नहीं रोके। सायलान के कब्जाकाश्त में मजाहमत मदालखत नहीं करें। रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई। अप्राथी नं0 1 व 2 को जबाव हेतु कई अवसर देने के बावजूद जबाव पेश नही करने पर आदेशिका दिनांक 8.7.2022 द्वारा जबाव बंद कर दिया गया, एवं अप्राथीगण न0 3,4 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 19.07.2019 द्वारा अप्रार्थीगण नं0 3 व 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में एकपक्षीय प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता संख्या 210 खसरा नं0 625, 626, 627, 628, 1079 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 03.07.2015 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति ताफैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 15.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:25 IST
Reason: SelfAttested